

(129)

R. 3637-2/15

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 28-1-16 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग0 3637-एक/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 19-10-15 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 426/अ-21/2013-14.

झुन्नीलाल गौड़ आत्मज स्व. सुन्दर गौड़

निवासी 11, नानाखेड़ा तहसील व

जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

1- श्री राकेश अवस्थी पिता श्री शिवरतन अवस्थी

निवासी 1591 गंगानगर मड़फैयश गढ़ा वार्ड

तहसील व जिला जबलपुर

2- म0प्र0 शासन द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण

f

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3637-एक/15


जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-1-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 426/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 19-10-15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम मुकनवारा प.ह.नं. 33 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 136/2 रकबा 0.400 हैक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि प्रहनाधीन भूमि पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि अतिरिक्त तहसीलदार, बरगी के आदेश दिनांक 6-9-13 द्वारा की गई है और उसके एक वर्ष बाद आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरुद्ध है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि क्रय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक वर्ष बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त</p>	

(Signature)

R. 3687-1/15

सुब्बीलाल विरुद्ध श्री राकेश अवस्थी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-10-15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम मुकनवारा प.ह.नं. 33 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं0 136/2 रकबा 0.400 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none">1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।3- केता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय घन विक्रेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्ररनाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा।4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। <p>यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p style="text-align: center;"> सदस्य</p>

B